न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या : नया नं. 77 / 2022 **GCMS 2022/153**

गत नं. 60 / 2011 **RCMS 2011/00043**

वादी

1. रामविलास पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी फौत के कायम मुकाम :–
   1 / 1–पतासी देवी पत्नी रामविलास
   1 / 2–नाथूलाल पुत्र रामविलास
   1 / 3–अशोक कुमार पुत्र रामविलास
   1 / 4–माया पुत्री रामविलास
2. शंकरलाल पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी
3. प्रकाशचंद पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी
4. नटवरलाल पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
2. छोटूलाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
3. प्रमोद कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
4. रमेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
5. हरिप्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
6. मोहनीदेवी बेवा भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
7. बजरंगलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
8. बद्रीप्रसाद पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
9. रामावतार पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
10. जगदीश प्रसाद पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
11. हरदेवी बेवा कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
12. भंवरलाल पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
13. गौरी शंकर पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
14. नवल किशोर पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
15. श्रीराम पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
16. सीताराम पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

17. राजकुमार पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
18. सुरेश कुमार पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
19. भंवरलाल पुत्र रामूराम जाट निवासी सिंधपुरा तहसील कुचामनसिटी
20. हेमाराम पुत्र रामूराम जाट निवासी सिंधपुरा तहसील कुचामनसिटी
21. धनाराम पुत्र रामूराम जाट निवासी सिंधपुरा तहसील कुचामनसिटी
22. उप पंजीयक कुचामनसिटी
23. राज.सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा– इस्तकरार हक व भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T.Act 1955 सपठित

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री हनुवन्तसिंह अधिवक्ता प्रति. 1 से 7 की ओर से।

<u>निर्णय</u>

दिनॉक :– 30-01-2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 स्व. श्योजीरामजी के वंशज वारिसान है तथा एक ही परिवार व खानदान के सदस्य है, जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

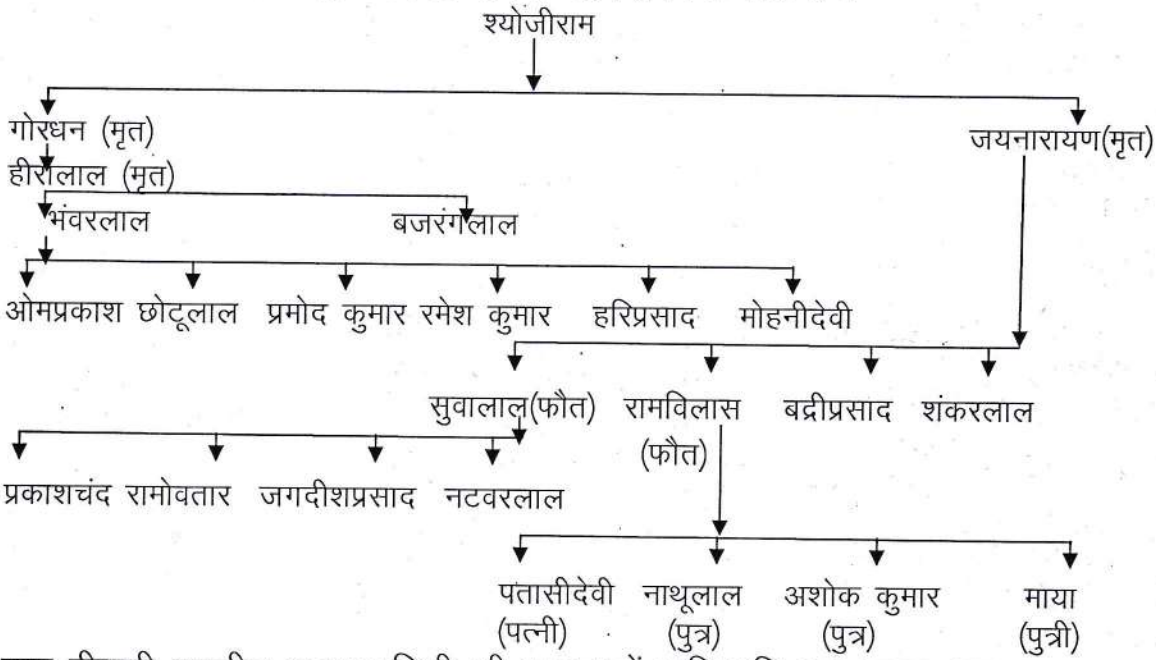

ग्राम हीराणी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 142 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा व गत खसरा नम्बर 45 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा एवं गत खसरा नम्बर 136, 136/1 रकबा 12 बीघा भूमि स्थित रही है, नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में गलत खसरा नम्बर 142 के नवीन खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 680 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 681 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 682 रकबा 3.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.97 हैक्टर, [illegible] रकबा 7.22 हैक्टर अंकित हुए है जो नवीन ग्राम सिंधपुरा पटवार हल्का हीराणी में दर्ज है। गत खसरा नम्बर 45 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

नवीन खसरा नम्बर 134 रकबा 3.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 1.19 हैक्टर जुमले रकबा 5.10 हैक्टर, ग्राम हिराणी में दर्ज हुए है। गत खसरा नम्बर 136, 136/1 के नवीन खसरा नम्बर 686 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 687 रकबा 1.92 हैक्टर जुमले रकबा 1.94 हैक्टर ग्राम सिंधपुरा की सरहद में अंकित हुए है। गत खसरा नम्बर 142 में करीब 22 बीघा भूमि व गत खसरा नम्बर 45 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण व गत खसरा नम्बर 136, 136/1 की करीब 12 बीघा सम्पूर्ण भूमि पर वक्त जागीर से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के पूर्वज गोरधनजी व जयनारायणजी दोनो भाईयों के संयुक्त रूप से बतौर जागीरदार कब्जा काश्त में रही अर्थात उक्त भूमि दोनो भाईयों की जागीर खुदकाश्त की भूमि रही है तथा जागीर पुनग्रहण के पश्चात वे बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः बतौर खातेदार कृषक आजीवन काबिज रहे तथा गोरधनजी के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि में 1/2 हिस्सा की भूमि उनके पौत्र भंवरलाल व बजरंगलाल के कब्जा में बतौर उत्तराधिकारी रही क्योंकि गोरधनलाल के पुत्र हीरालाल का स्वर्गवास उनके पिता के पहले हो गया था, इस भूमि के सह हिस्सेदार भंवरलाल का स्वर्गवास होने से प्रतिवादीगण 1 ता 6 बतौर उत्तराधिकारी काबिज है तथा 1/2 हिस्सा की भूमि के खातेदार जयनारायणजी का स्वर्गवास होने के बाद उनके पुत्र सुवालाल, रामविलास, बद्रीप्रसाद व शंकरलाल बहिस्सा बराबर से बतौर उत्तराधिकार काबिज रहे है तथा सुवालालजी का स्वर्गवास होने के बाद उनके हिस्से की भूमि पर उनके वारिसान प्रकाशचंद, रामावतार, जगदीशप्रसाद, नटवरलाल काबिज चले आ रहे है, उपरोक्त गत खसरा नम्बर 142 की भूमि पर करीब ग्यारह बीघा भूमि कल्याणमलजी के कब्जा काश्त में रही है जिस पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण 11 ता 18 काबिज है शेष करीब 12 बीघा भूमि पर सहहिस्सेदार अन्य व्यक्ति काबिज थे, जिनके द्वारा प्रतिवादीगण 19, 20, 21 अथवा उनके पिता बेचान कर देने से अब प्रतिवादी 19., 20, 21 काबिज है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का निम्न हक हिस्सा माफिक काबिज चले आ रहे है :–

ग्राम का नाम	ख.नं.	रकबा	हक हिस्सा
सिंधपुरा	682 683 कुल	3.45 है. 0.07 है. 3.52 है.	सम्पूर्ण में 1/2 हिस्सा के स्व. जयनारायणजी के वारिसान वादीगण व प्रति. सं.8, 9, 10, के हक कब्जा व 1/2 हिस्सा स्व. गोरधनजी के वारिसान प्रति. सं.1 ता 7
	681	1.74 है.	सम्पूर्ण प्रतिवादी सं. 11 ता 18 के कब्जा व अधिकार में है।
	679 680 कुल	0.99 है. 0.97 है. 1.96 है.	सम्पूर्ण प्रतिवादी सं. 19, 20, 21 के कब्जा में है।
	686 687	0.02 है. 1.92 है.	1/2 हिस्सा जयनारायणजी के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 के हक व कब्जा में 1/2 हिस्सा गोरधनजी के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के कब्जा में
हीराणी	134 145 कुल	3.91 है. 1.19 है. 5.10 है.	1/2 हिस्सा जयनारायणजी के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 के हक व कब्जा में 1/2 हिस्सा पर गोरधनजी के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के अधिकार की है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 10 के मध्य [illegible] विधिवत बंटवारा नही हो पाया है लेकिन उपरोक्त भूमि पर आपसी [illegible] काश्त करते आ रहे है, वादीगण ने अपने हक हिस्सा [illegible] वांछित तस्दीक करने हेतु पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हल्का को कहा तो उन्होने खाता देखकर बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 8,9,10 अथवा उनके पितागण का नाम ही खाते में दर्ज नही है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 10 की उपरोक्त भूमि के खाते में प्रतिवादीगण 1 ता 7 का नाम दर्ज होना बताया ताबाद वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 ता 7 का नाम दुरूस्ती हेतु कहा तो उन्होने इंकार कर दिया तथा स्व. जयनारायणजी के वारिसान का हक व अधिकार होने से मना कर दिया। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 8, 9, 10 के पूर्वजो से उक्त भूमि कब्जा काश्त व जागीरदारी में रही है। आवश्यक नकलात अभिलेखागार से प्राप्त की जो जानकारी हुई कि अन्य खसरा नम्बरान के साथ उपरोक्त गत खसरा नम्बर 142 की खतौनी सम्वत 2010 से 2035 तक वादीगण व प्रतिवादीगण 8, 9, 10 के नाम जमाबंदी में अंकित रहा है लेकिन इसके बाद प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता भंवरलाल व प्रतिवादी सं. 7 बजरंगलाल ने बिना किसी आधार के बिना कोई विधिसम्मत दस्तावेज के सुवालाल, रामनिवास, बद्रीलाल, शंकरलाल का नाम राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर हटवा दिया जिसकी कोई सूचना या जानकारी इन अभिलिखित खातेदारो को नही हुई है जो सरासर अवैध पूर्ण कार्यवाही है। गत खसरा नम्बर 45, 136, 136/1 को जागीरदार खुद काश्त कर जयनारायणजी सम्मिलित रूप से गोरधनजी के संयुक्त रहे इसलिए भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने कर्ताखानदान व बड़ा भाई होने से अकेले गोरधनजी के नाम पर्चा जारी कर दिया तथा स्व. जयनारायणजी का नाम दर्ज करने से छोड़ दिया गया, इसी भूल से पश्चातवर्ती जमाबंदियों में अकेले गोरधनजी का नाम दर्ज होता रहा तथा उनके स्वर्गवास पश्चात उनके वारिसान पौत्र भंवरलाल व बजरंगलाल के नाम दर्ज हो गया जबकि वे जयनारायणजी व गोरधनजी दोनो सगे भाई संयुक्त परिवार में रूप में रहकर काश्त करते रहे है तथा अब उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 8, 9, 10 काबिज है, इसी हक अनुसार वक्त जागीर से स्व. जयनारायणजी काबिज रहे तथा उन्ही के नाम गिरदावरी इन्द्राज होता रहा है तथा निश्चित नगान वे सरकार में जमा कराते रहे अब उनके बाद उनके वारिसान लगान हिस्सेदार जमा कराते रहे है, स्व. जयनारायणजी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः खातेदार हो गए जो अब उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 8, 9, 10 खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने व विधिवत भू–विभाजन कराने के हकदार है। उपरोक्त खसरा नम्बर 134, 145 कुल रकबा 5.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 682, 683 कुल रकबा 3.92 हैक्टर व खसरा नम्बर 686, 687 कुल रकबा 1.94 हैक्टर जुमल योग 10.56 हैक्टर में 1/8 हिस्से में 1/8 हिस्सा वादी प्रकाशचंद नटवरलाल प्रतिवादी जगदीशप्रसाद रामोवतार व 1/8 हिस्स वादी रामविलास का, 1/8 हिस्सा वादी शंकरलाल का व 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी बद्रीप्रसाद का है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ता 7 का हक व अधिकार है। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम हीराणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 134 रकबा 3.91 हैक्टर खसरा नम्बर 145 रकबा 1.19 हैक्टर जुमले रकबा 5.10 हैक्टर में व ग्राम सिंधपुरा के खसरा नम्बर 682 रकबा 3.45 हैक्टर खसरा नम्बर 683 रकबा 0.07 हैक्टर जुमले रकबा 3.52 हैक्टर में व खसरा नम्बर 686 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 687 रकबा 1.92 हैक्टर जुमले रकबा 1.94 हैक्अर प्रत्येक खसरा में 1/8 हिस्सा वादी प्रकाशचन्द, नटवरलाल व प्रतिवादीगण रामोवतार, जगदीशप्रसाद, 1/8 हिस्सा वादी रामविलास, 1/8 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

का वादी शंकरलाल व 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी बद्रीप्रसाद काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावें। ग्राम सिंधपुरा के खसरा नम्बर 681 रकबा 1.74 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादीगण 11 ता 18 के व खसरा नम्बर 679 रकबा 0.99 हैक्टर व खसरा नम्बर 680 रकबा 0.97 हैक्टर जुमले रकबा 1.96 हैक्टर का प्रतिवादीगण 19, 20, 21 काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी अधिकारो की डिक्री सादिर फरमाई जावें। बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस उपरोक्त खसरा नम्बर 682, 683, 686, 687, 134, 145 की कुल 10.56 हैक्टर में से वादीगण व प्रतिवादगण 8, 9, 10 के हक हिस्से की भूमि के भू–विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जावे। प्रतिवादी 1 ता 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादीगण एवं प्रतिवादी 8, 9, 10 के कब्जा काश्त व अधिकारों में किसी प्रकार से दखल नही डाले न ही अपने एजेन्टों से डलवाए तथा बिना विभाजन व खातेदारी घोषणा के प्रतिवादी 1 ता 7 इस भूमि को हस्तानान्तरण विक्रय बक्शीश इत्यादि नही करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहस वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर से जवाब दावा मय कांउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रतिवादी संख्या 8 से 21 की ओर से वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब प्रस्तुत हुये। प्रतिवादी सं. 22 व 23 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

काउन्टर क्लेम जवाब प्रतिवादी 1 ता 7 ने प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण ने कुछ तथ्य न्यायालय से छिपाये है जिनका खुलासा करना आवश्यक है ग्राम हीराणी में एक श्री नरसिंहजी महाराज का मन्दिर है और दूसरा श्री रघुनाथजी महाराज का मन्दिर है, श्री नरसिंहजी महाराज के मन्दिर के पुंजारी वर्तमान में श्री प्रहलाद दास, गिरधारीदास, जगदीश प्रसाद, श्यामलाल, छोटूदास, मनोहरलाल व गोपाललाल वगैरह जाति स्वामी है तथा इनसे पूर्व इनके पूर्वज उक्त मन्दिर के पुजारी थे तथा गत खसरा नम्बर 46 एवं वर्तमान खसरा सं. 133 रकबा 3.32 हैक्टर के काबिज काश्तकार है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 232 रकबा 1.66 हैक्टर गत खसरा नम्बर 213 213/1 व वर्तमान खसरा नम्बर 730, 746 रकबा क्रमशः 6.14 हैक्टर व 1.10 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का हीराणी में स्थित है जिसके वादी सं. 1 ता 4 व प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 काबिज काश्तकार बहैसियत पुजारी मन्दिर श्री रघुनाथजी महाराज ग्राम हिराणी है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 का गत खसरा नम्बर 142 रकबा 22 बीघा गत खसरा नम्बर 45 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा व गत खसरा नम्बर 136, 136/1 रकबा 12 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683, 134, 145, 686, 687 में किसी प्रकार का न तो कोई हक–हिस्सा है और न ही कब्जा काश्त है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 के कब्जे काश्त में मन्दिर श्री रघुनाथजी महाराज ग्राम हिराणी के खसरा नम्बर 232 रकबा 1.66 हैक्टर, खसरा [illegible] रकबा 6.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 746 रकबा 1.10 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का हीराणी में जो जमीन आई हुई है। गत खसरा नम्बर 142 [illegible] से 683 कुल रकबा 7.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हैक्टर जिसकी वर्तमान जमाबंदी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का, रकबा 1.05 हैक्टर स्व. रामूराम पुत्र बिरदाराम के वारिसान नोजीदेवी पत्नी स्व. रामूराम भंवराराम हेमाराम धन्नाराम पि. स्व. रामूराम का है जिसमे नोजीदेवी को पक्षकार ही नही बनाया गया है, मात्र प्रतिवादी सं. 19, 20, 21 को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है, रकक्ब 1.92 हैक्टर में वादीगण 1 ता 4 व प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 का हिस्सा न होकर प्रतिवादी सं. 1 ता 7 व प्रतिवादी सं. 11 ता 18 का व भंवरीदेवी बेवा सुवालाल का हिस्सा है जबकि भंवरीदेवी धर्म पत्नि स्व. सुवालाल को वादीगण पक्षकार ही नही बनाया गया है। उपरोक्त खसरान में आधा हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का है तथा रकबा 1.92 हैक्टर में 0.64 हैक्टर सम्वत 2032 से 2035 की जमाबंदी जोधराज पुत्र भूरमल का नाम हटाकर उनके स्थान पर श्री भंवरलाल पुत्र हीरालाल का नाम नामान्तरकरण सं. 409 के अनुसार दर्ज किया गया था तथा श्री जोधराज के 1/4 अर्थात 0.64 हैक्टर हिस्से को भंवरलाल पुत्र हीरालाल के हिस्से में मिलाकर उक्त हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया जो प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पिता व प्रतिवादी सं. 6 के पति थे व 1/4 हिस्सा अर्थात 0.64 हैक्टर हिस्सा बजरंगलाल पुत्र हीरालाल प्रतिवादी सं. 7 का है इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 का कोई हक हिस्सा उक्त खसरान मे नही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण 1 ता 7, 11 ता 18 तथा 19 ता 21 के बीच बहिस्सा जमाबंदी में दर्शाये अनुसार होना शेष है वादीगण व प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 का नाम उक्त खसरान से हटाया जाना आवश्यक है। काउन्टर क्लेम में कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के पक्ष में व वादीगण व प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि ग्राम सिंधपुरा पटवार हल्का हीराणी के खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683, 686, 687 कुल रकबा 9.16 हैक्टर व ग्राम हीराणी के खसरा नम्बर 134 रकबा 3.91 हैक्टर व खसरा नम्बर 145 रकबा 1.19 हैक्टर में न तो स्वयं और न ही अपने प्रतिनिधिगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी करे अथवा किसी अन्य से करवाये, ग्राम सिंधपुरा पटवार हल्का हीराणी के खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683, 686, 687 कुल रकबा 9.16 हैक्टर से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 से 10 का नाम हटाया जावे तथा उनके स्थान पर प्रतिवादी 1 ता 7 नाम राजस्व जमाबंदी में दर्ज किया जावें, बंटवारा सीमांकन द्वारा ग्राम सिंधपुरा पटवार हल्का हीराणी के खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683, 686, 687 कुल रकबा 9.16 हैक्टर का प्रतिवादी सं. 1 ता 21 के बीच कराया जावें, प्रतिवाद काउन्टर क्लेम प्रतिवादी 1 ता 7 को वादीगण 1 ता 4 से दिलाया जावें।

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर45, 142, 136, 136/1 की नकल, जमाबंदी नकल सम्वत 2012–2015, 2016–2019, 2024–2027, 2030–2033, 2032–2035, 2035–2038, 2039–2042, सम्वत 2065–2068 खसरा नम्बर सिंधपुरा के 679 से 683 एवं 686, 687 की नकल, हीराणी के खसरा नम्बर 134, 145 की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल,

प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी ग्राम सिंधपुरा के खसरा नम्बर 686, 687 की नकल [illegible] के गत खसरा नम्बर 136, 136/1 सम्वत 2012–2015, 2016–2019, 20[illegible] 2032–2035 गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013, 2014–2017, [illegible] ग्राम हीराणी गत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 45 की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल, जमांबदी सम्वत 2065–2068 खसरा नम्बर 134, 145 की नकल जमाबंदी नकल सम्वत 2012–2015, 2020–2023, 2032–2035, 2039–2042, 2049–2052, गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013, 2014–2017, 2017–2020, 2032–2035, गत खसरा नम्बर 76 की गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013, 2014–2017, 2017–2020, 2032–2035, मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 142 की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल, सिन्धपुरा की जमाबंदी नकल सम्वत 2065–2068 हाल खसरा नमबर 679 से 683 की नकल, सम्वत 2035–2038, 2039–2042, 2049–2052,गिरदावरी नकल 2010–2013, 2014–2017, 2017–2020, 2032–2035, विद्युत बिल की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। तत्पश्चात तनकियात कायम की जाकर शामिल मिसल की गई, जो निम्नवत है :–

तनकियात

1. आया वादीगण ग्राम हीराणी के खसरा नमबर 134, 145 कुल रकबा 5.10 हैक्टर में व ग्राम सिंधपुरा के खसरा नम्बर 682, 683, 686, 687 में 1/8 हिस्सा वादी प्रकाशचंद नटवरलाल व प्रतिवादी रामोवतार जगदीशप्रसाद, 1/8 हिस्साा का वादी रामविलास, 1/8 हिस्सा का वादी शंकरलाल व 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी बद्रीप्रसाद काबिज खातेदार कृषक है, इस आशय की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है ?

   ––जिम्मे वादीगण

2. ग्राम सिंधपुरा के खसरा नम्बर 681 रक़बा 1.74 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादी 11 ता 18 के व खसरा नम्बर 679 680 कुल रकबा 1.96 हैक्टर का प्रतिवादी 19, 20, 21 की खातेदारी घोषणा कराने के मुश्तहक है ?

   ––जिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 682, 683, 686, 687, 134, 135 में अपने हक हिस्से का विभाजन कराने के मुश्तहक है ?

   ––जिम्मे वादीगण

4. आया प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की इस्तदुआ हैकि ग्राम सिंधपुरा के खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 में से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 का नाम हटाया जावें तथा प्रतिवादी के बीच माफिक बंटवारा रेकार्ड दुरूस्ती की जायें ?

   ––जिम्मे प्रति. सं. 1 ता 7

5. आया वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वे प्रतिवादीगण 1 से 7 की खातेदारी कब्जेसुदा भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे ?

   ––जिम्मे प्रति. सं. 1 ता 7

6. अनुतोष ।

   दोनो पक्षो को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये गये तथा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर प्रकरण बहस स्तर पर सुनवाई जारी रही। दिनॉक 14.02.2020 को पक्षकारान के उपस्थित नही होने से वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हुई। दिनॉक 17.05.2022 को प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 4 सीपीसी का प्रस्तुत होकर दर्ज रजिस्टर होकर सुनवाई की गई। प्रतिवादीगण वाबजूद इतला अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

गई तथा दिनॉक 09.01.2023 को प्रार्थना–पत्र स्वीकार होकर वाद पुनः नम्बर पर लिया गया।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, जिन्होने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खातेदारी दर्ज किये जाने का कथन किया। प्रकरण में उपलब्ध जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, गिरदावरी नकलो इत्यादि का अवलोकन किया गया। ग्राम हीराणी के गत खसरा नम्बर 45 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा नये खसरा नम्बर 134 रकबा 3.91 हैक्टर खसरा नम्बर 1.19 हैक्टर कुल रकबा 5.10 हैक्टर ओमप्रकाश छोटूलाल प्रमोदकुमार बजरंगलाल मोहनीदेवी रमेशकुमार हरिप्रसाद के नाम दर्ज है। हीराणी के गत खसरा नम्बर 136 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 136/1 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 12 बिस्वा नवीन ग्राम सिंधपुरा के नये खसरा नम्बर 686 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 687 रकबा 1.92 हैक्टर कुल रकबा 1.94 हैक्टर बजरंगलाल पुत्र हीरालाल भंवरलाल पुत्र हीरालाल ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज है। हीराणी के गत खसरा नम्बर 142 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा नये खसरा नम्बर 679 रकबा 0.99 हैक्टर खसरा नम्बर 680 रकबा 0.97 हैक्टर खसरा नम्बर 681 रकबा 1.74 हैक्टर खसरा नम्बर 682 रकबा 3.45 हैक्टर खसरा नम्बर 683 रकबा 0.07 हैक्टर कुल रकबा 7.22 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के साथ अन्य सहखातेदारो की भूमि संयुक्त रूप से दर्ज चली आई है। नकल खतौनी सम्वत 2065–2068 ग्राम सिंधपुरा नये खसरा नम्बर 686, 687 कुल रकबा 1.94 हैक्टर बजरंगलाल भंवरलाल पि. हीरालाल जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज है। गत खसरा नम्बर 136, 136/1 की भूमि जमाबंदी नकल सम्वत 2024–2027 अनुसार भंवरलाल पुत्र हीरालाल ब्राहम्ण सा. देह के नाम दर्ज है, जिसमे जयनारायण के वारिसान का हक हिस्सा निहित नही है, गत खसरा नम्बर 45 की भूमि नकल खतौनी 2012–2015 व अन्य जमाबंदियो में गोरधन पुत्र श्योजीराम तत्पश्चात उसके पुत्र भंवरलाल बजरंगलाल के हक हिस्से में दर्ज चली आ रही है, जिसमें जयनारायण के वारिसान का कोई हक हिस्सा नही बनता है। गत खसरा नम्बर 142 जमाबंदी नकल सम्वत 2039–2042 मुताबिक प्रतिवादी 1 से 7 के पूर्वज एवं तत्पश्चात भंवरलाल बजरंगलाल पि. हीरालाल का 1/2 हिस्सा तथा भवाना पुत्र रामू जाट 6 बीघा 10 बिस्वा लादूराम वल्द गणेश कलयाणमल वल्द मोहनलाल सुवालाल रामविलास बदरीलाल शंकरलाल पि. जयनारायण घीसालाल मोहनलाल बिहारीलाल पि. लूणाराम 11 बीघा 19 बिस्वा 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 का उपरोक्त भूमियों में किसी प्रकार से हक हिस्सा नही बनता है केवल मात्र गत खसरा नम्बर 142 के नये खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 में हक हिस्सा है जो वर्तमान में संयुक्त रूप से सहखातेदारी में प्रतिवादीगण 1 ता 7 एवं अन्य खातेदारान के साथ दर्ज चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है। इस प्रकार प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि वाद वादी किसी भी तरह से साबित नही है। अतः वाद वादीगण साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

आदेश आज दिनॉक 30/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : नया नं. 77/2022 **GCMS 2022/153**

गत नं. 60/2011 **RCMS 2011/00043**

वादी

1. रामविलास पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1–पतासी देवी पत्नी रामविलास
   1/2–नाथूलाल पुत्र रामविलास
   1/3–अशोक कुमार पुत्र रामविलास
   1/4–माया पुत्री रामविलास
2. शंकरलाल पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी
3. प्रकाशचंद पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी
4. नटवरलाल पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
2. छोटूलाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
3. प्रमोद कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
4. रमेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
5. हरिप्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
6. मोहनीदेवी बेवा भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
7. बजरंगलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
8. बद्रीप्रसाद पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
9. रामावतार पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
10. जगदीश प्रसाद पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
11. हरदेवी बेवा कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
12. भंवरलाल पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
13. गौरी शंकर पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
14. नवल किशोर पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
15. श्रीराम पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
16. सीताराम पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
17. राजकुमार पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
18. सुरेश कुमार पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहम्ण निवासी हिराणी तहसील कुचामनसिटी
19. भंवरलाल पुत्र रामूराम जाट निवासी सिंधपुरा तहसील कुचामनसिटी
20. हेमाराम पुत्र रामूराम जाट निवासी सिंधपुरा तहसील कुचामनसिटी
21. धनाराम पुत्र रामूराम जाट निवासी सिंधपुरा तहसील कुचामनसिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

22. उप पंजीयक कुचामनसिटी

23. राज.सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा– इस्तकरार हक व भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T.Act 1955 सपठित

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी मिनजानिब मुदई रू–बरू हनुवन्तसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आंज दिनांक 30 माह 01 सन् 2023 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)
आफिसर

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:24 IST
Reason: SelfAttested